न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 755/2024

अनवान : –

1. भूपसिंह पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. माया पत्नी मनोज कुमार जाति जटसिख निवासी मोधुवाली हाल चढेवाला तहसील तलवन्डी जिला भटिण्टा पंजाब।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः - 23/12/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 98/129 की कुल 2.1500 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 24/14 की कुल 2.1510 हैक्ट भूमि में से 464/2151 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद व प्रतिवादी संख्या 1 का बाहमी राजीनामा हो चुका है तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 एक दुसरे के खेत पड़ौसी है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य के हिस्से में यानि रोही मौजा चक 19 जेएसएन तहसील नोहर के प0न0 327/395 मु0न0 51 के किला न0 1 व 2 में उत्तरी तरफ पश्चिमी से पूर्व की ओर लम्बाई में 1/4, 1/4 हिस्सा चौड़ा रास्ता स्वीकृत कराया तथा बदले में प0न0 327/395 मु0न0 51 के किला न0 13 के चिपते हुए वादी को भूमि देनी थी अब वाद के पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है प्रतिवादी संख्या 1 ने रास्ता के बदले चिपते हुई भूमि वादी को देनी थी अब वाद के पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है प्रतिवादी संख्या 1 ने रास्ता के बदले में पैसे ले लिये तथा भूमि वादी को 0.03066 हैक्ट भूमि अपने हिस्से में रास्ता के बदलने देनी तय की थी। उक्त भूमि में बाहमी राजीनामा के अनुसार वादी 0.3066 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में से कलमजन करवा पाने का अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन करने के 0.4334 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 तथा 0.03060 हैक्ट भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि मुताबिक बाहमी राजीनामा वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर ... की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे ... करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:56:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 19 जेएसएन सम्वत 2072—75 खाता स0 98/129 व 24/24 की प्रमाणित प्रति पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का बाहमी राजीनामा हो चुका है तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 एक दुसरे के खेत पड़ौसी है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य के हिस्से में यानि रोही मौजा चक 19 जेएसएन तहसील नोहर के प0न0 327/395 मु0न0 51 के किला न0 1 व 2 में उत्तरी तरफ पश्चिमी से पूर्व की ओर लम्बाई में 1/4, 1/4 हिस्सा चौड़ा रास्ता स्वीकृत कराया तथा बदले में प0न0 327/395 मु0न0 51 के किला न0 13 के चिपते हुए वादी को भूमि देनी थी अब वाद के पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है प्रतिवादी संख्या 1 ने रास्ता के बदले चिपते हुई भूमि वादी को देनी थी अब वाद के पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है प्रतिवादी संख्या 1 ने रास्ता के बदले में पैसे ले लिये तथा भूमि वादी को 0.03066 हैक्ट भूमि अपने हिस्से में रास्ता के बदलने देनी तय की थी। उक्त भूमि में बाहमी राजीनामा के अनुसार वादी 0.3066 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में से कलमजन करवा पाने का अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन करने के 0.4334 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 तथा 0.03060 हैक्ट भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 98/129 की कुल 2.1500 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज है तथा रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 24/24 की कुल 2.1510 हैक्ट भूमि में से 464/2151 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का बाहमी राजीनामा हो चुका है तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:56:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

दुसरे के खेत पड़ौसी है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व अन्य के हिस्से में यानि रोही मौजा चक 19 जेएसएन तहसील नोहर के प0न0 327/395 मु0न0 51 के किला न0 1 व 2 में उत्तरी तरफ पश्चिमी से पूर्व की ओर लम्बाई में 1/4, 1/4 हिस्सा चौड़ा रास्ता स्वीकृत कराया तथा बदले में प0न0 327/395 मु0न0 51 के किला न0 13 के चिपते हुए वादी को भूमि देनी थी अब वाद के पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है प्रतिवादी संख्या 1 ने रास्ता के बदले चिपते हुई भूमि वादी को देनी थी अब वाद के पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है प्रतिवादी संख्या 1 ने रास्ता के बदले में पैसे ले लिये तथा भूमि वादी को 0.03066 हैक्ट भूमि अपने हिस्से में रास्ता के बदलने देनी तय की थी। उक्त भूमि में बाहमी राजीनामा के अनुसार वादी 0.3066 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में से कलमजन करवा पाने का अधिकारी है प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन करने के 0.4334 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 तथा 0.03060 हैक्ट भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादी स0 1 द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 24/14 की कुल 2.1510 हैक्ट भूमि में से 464/2151 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में से 0.03066 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:36:07 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 755 / 2024

अनवान : –

1. भूपसिंह पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी जसाना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. माया पत्नी मनोज कुमार जाति जटसिख निवासी मोधुवाली हाल चढेवाला तहसील तलवन्डी जिला भटिण्टा पंजाब।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 755 सन 2024 निर्णय दिनांक – 23/12/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 19 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 24 / 14 की कुल 2.1510 हैक्ट भूमि में से 464 / 2151 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में से 0.03066 हैक्ट भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा शेष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/12/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.27 13:56:07 IST
Reason: SelfAttested